

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 310/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 14.05.2025
 प्रति,

शासन के समस्त विभाग
 अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
 समस्त विभागाध्यक्ष
 समस्त संभागायुक्त
 समस्त कलेक्टर
 छत्तीसगढ़

विषय:-छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें

—0—

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 835/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 30.10.2024 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.10.2024 से 50% (सातवें वेतनमान में) एवं 239% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी:-

वेतनमान	अवधि जब से देय है	महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत
सातवां वेतनमान	01 मार्च 2025	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 3%	53%
छठवां वेतनमान	01 मार्च 2025	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 7%	246%

3/ उपरोक्त महंगाई राहत की पात्रता पेंशन एवं परिवार पेंशन, असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के ज्ञापन क्रमांक 677/279/2024/वित्त/नियम/चार, दिनांक 23.9.2024 (वित्त निर्देश 07/2024-संलग्न) एवं ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/ नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

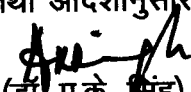


5/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(डा. ए.के. सिंह)
अपर सचिव

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA

MAHANADI BHAVAN, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR

No. 310/F-2013-04-00416/Fin./Rule/IV, Nava Raipur Atal Nagar, Dated 14.5.2025

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Heads of Department
All Commissioners of Divisions
All Collectors
Chhattisgarh.

Sub -Revised rate of dearness relief to Chhattisgarh Government pensioners

The State Government had sanctioned 50% (in Seventh Pay Scale) and 239%(in Sixth Pay Scale) dearness relief w.e.f. 01.10.2024 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. 835/F 2013-04-00416/Fin./Rule/IV, dated 30.10.2024.

2. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

Pay Scale	Date from which payable	Rate of increase in Dearness Relief	Increased Dearness Relief
Seventh Pay Scale	01-March-2025	3% of Basic Pension/ Family Pension	53%
Sixth Pay Scale	01-March-2025	7% of Basic Pension/ Family Pension	246%

3. The above dearness relief shall be payable to the persons receiving pension, family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Chhattisgarh Government, Finance Department's Memo No. 677/279/2024/ Fin./Rule/IV, dated 23-09-2024 (Finance Circular 07/2024 Encl.) and Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76.



4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

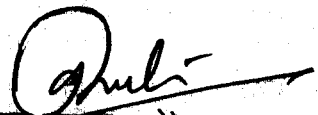
By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh


(Dr. A.K./Singh)
Additional Secretary

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर
6. निज सचिव/निज सहायक, उपमुख्य मंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के निज सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष एवं लेखा/पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्ग, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
23. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न.8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई-400051
24. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
25. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर 382010
26. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
27. वित्त सचिव, असम शासन, मंत्रालय, दिसपुर 781005
28. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
29. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
30. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039
31. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
32. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
33. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बेंगलूरु 560001
34. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001
35. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
36. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
37. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003
38. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
39. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
40. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
41. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.

42. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
43. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
44. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
45. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
46. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101
47. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
48. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
49. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
50. महालेखाकार (लेखा/हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
52. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
53. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेंघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001
55. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
56. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001
57. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002
58. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039
59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
61. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020
62. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001
63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बेंगलूरु 560002
64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017
66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
67. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कंसल भवन शिमला 171003
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग, जयपुर 302001
69. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001
70. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, प्रयागराज 211001
71. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग कोलकाता 700001
72. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
73. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतला 799001
74. वरिष्ठ उप महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001
75. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लाकार भवन गंगटोक 717101
76. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादूर 248001
77. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्वीप, पो. पणजी 403101
78. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
79. वेतन एवं लेखा अधिकारी क्रमांक 5 (पेंशन) तीस हजारी, दिल्ली 110006
80. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110001
81. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110001
82. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ग्वालियर, मध्यप्रदेश
83. संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
84. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


 (इन्द्र प्रकाश रात्रे)
 अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

क्रमांक ६१७/२७९/२०२४/वित्त/नियम/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक २३/९/२०२४
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:-छत्तीसगढ़ राज्य के सेवारत परिवार पेशनरों को पेंशन पर राहत की पात्रता के सम्बन्ध में ।
संदर्भ:-वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक २११/३७९/वि/नि/चार/२००७, रायपुर दिनांक २४.०७.२००७

—०—

राज्य शासन द्वारा पेंशन पर राहत के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए समेकित निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

१/ ग्राह्यता - ऐसे पेंशनर जिन्हें अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्ति (Retiring), असमर्थता (Invalid), तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन स्वीकृत की गई है, को राहत की पात्रता है। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ते पर भी इस राहत की पात्रता है।

२/ नियोजन/पुनर्नियुक्ति/संविलीन पेंशनभोगियों को पेंशन पर राहत की पात्रता-

(अ) राज्य शासन के पेंशन भोगियों को पेंशन पर राहत का भुगतान निम्नलिखित स्थितियों में निलंबित रहेगा-

- (i) राज्य शासन/केन्द्र शासन अथवा किसी अन्य राज्य शासन के विभाग अथवा कार्यालय में पुनर्नियुक्ति पर।
- (ii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में आने वाली कंपनी/कार्पोरेशन/उपक्रम अथवा स्वशासी संस्था अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, १९७६ के नियम ३ के उप नियम (१) के उपबंध (एल) में परिभाषित किसी स्थानीय निधि में - नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति अथवा नियमित रूप से संविलियन पर।

नोट:- उपर्युक्त (अ) के उपबंध (ii) हेतु कंपनी/कार्पोरेशन/उपक्रम से तात्पर्य है ऐसी कंपनी/कार्पोरेशन/उपक्रम जिसमें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा अंशतः एक से अधिक राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार द्वारा धारित, प्रदत्त अंशपूंजी ५१ प्रतिशत से अन्यून हो। साथ ही ऐसी कंपनी/कार्पोरेशन/उपक्रम जो शासकीय कम्पनी की सबसिडियरी हो, भी शासकीय कम्पनी मानी जायेगी।

(ब) उपर्युक्त (अ) के (ii) में उल्लेखित संस्था में नियमित संविलियन प्राप्त यदि मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपदान तथा पेंशन के स्थान पर एकमुश्त राशि प्राप्त करने के विकल्प का चयन करता है तो ऐसे स्थिति में राहत की पात्रता नहीं होगी भले ही इस प्रकार के नियोजन की समाप्ति हो चुकी हो।

3/ परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन पर राहत की अदायगी की शर्तें—

- (i) वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.बी. 6/17/76/R-II/चार, दिनांक 27.7.1976 के अनुसार उपरोक्त पैरा-2 में वर्णित संस्थाओं में नियोजन की स्थिति में राहत का भुगतान निलंबित रहेगा।
- (ii) परिवार पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु की दशा में यदि परिवार पेंशन किसी अन्य हितग्राही को देय हो तो राहत का पुनरीक्षण तभी होगा जब परिवार पेंशन का पुनरीक्षण हो।
- (iii) यदि अंशदायी परिवार पेंशन एक से अधिक विधवाओं में विभाज्य हो तब राहत समेकित पेंशन पर निर्धारित होगा एवं इसका हितग्राहियों में विभाजन उसी अनुपात में होगा जैसा की परिवार पेंशन का है। यदि किसी विधवा को असाधारण पेंशन तथा बच्चों को परिवार पेंशन प्राप्त हो रही हो तो राहत का विभाजन इसी रीति से होगा।
- (iv) यदि परिवार पेंशन प्राप्तकर्ता को अपनी पूर्व की सेवा के लिए सेवा पेंशन प्राप्त हो रही हो तब राहत का निर्धारण दोनों पेंशनों के योग पर किया जायेगा। यदि किसी पेंशनर को दो परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है तो भी राहत की गणना इसी रीति से होगी।
- (v) छत्तीसगढ़ पेंशन नियम 1976 के नियम 47 के उप नियम (3) के अनुसार अंशदायी परिवार पेंशन अधिकतम 7 वर्ष तक बढ़ी हुई दर से प्राप्त हो रही हो तथा इस अवधि के पश्चात् नियम 47 के उप नियम (2) अनुसार साधारण दर से प्राप्त हो तो राहत प्रथमतः बढ़ी हुई दर के आधार पर निर्धारित होगी तथा उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिए बढ़ी हुई दर से पेंशन स्वीकृत थी, राहत का साधारण दर से देय पेंशन के अनुसार पुनः निर्धारण किया जायेगा।

4/ अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता:—

- (i) यदि शासकीय सेवक अपने पति/पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकम्पा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नि के मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकम्पा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामले में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।
- (ii) उपर्युक्त पैरा-3(iv) अनुसार ही अनुकम्पा नियुक्त शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवा पेंशन एवं पूर्व से प्राप्त परिवार पेंशन, दोनों के समेकित राशि पर महंगाई राहत की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार बंसल)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

//2//

पृ. क्रमांक 678 / 279 / 2024 / वित्त / नियम / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23/9/2024
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर / नवा रायपुर
7. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवांसीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त अपर सचिव / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग